मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राँची,दिनांक– **02.03.2020**

विज्ञप्ति संख्या - 246/2020

- मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने दिखायी दरियादिली। विधानसभा चुनाव **2019** के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास द्वारा चुनावी सभा में उन पर किए गए जातिसूचक आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर केस वापस लिया।
- बदले या द्वेष की भावना से सरकार कोई कार्य नही करेगी
- सकारात्मक सोच के साथ राज्य को दिशा देना लक्ष्य

-- हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री

झारखंड मंत्रालय, रांची

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने एक बार फिर दरियादिली का उदाहरण पेश किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के खिलाफ एसटी-एससी धारा के तहत जामताड़ा जिला के मिहिजाम थाना में दर्ज कराया गया केस वापस ले लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को पत्र लिखकर कर इस केस पर आगे कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं करने की सूचना दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे दिल में पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के खिलाफ कोई द्वेष या बदले की भावना नही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ झारखंड को दिशा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 के समय चुनावी सभा में उनके द्वारा जातिसूचक टिप्पणी से मैं दु:खी होकर एसटी-एससी थाने में उनके खिलाफ सनहा दर्ज कराया था। परंतु अब चुनाव खत्म हो गया है और मैं नहीं चाहता कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। अब आपसी मतभेद का कोई मतलब नही है। हमें इस राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। हम सकारात्मक सोच के साथ चलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि राज्य को सही दिशा की ओर ले जाया जाए।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को लिखे पत्र में कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने चुनावी सभा में मेरे विरुद्ध जातिसूचक उपनाम लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था जिससे दु:खी होकर मैंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) के तहत मिहिजाम थाने में मामला दर्ज कराया था परंतु सम्यक् विचारोपरान्त मैंने उक्त मामले को वापस लेने का निर्णय लिया है। अतएव उक्त मामले के मिहिजाम थाना कांड संख्या 110/19, दिनांक 25-12-2019, धारा-504/506/404 भा०द०वि० एवं 3(r)(s) अनु०जा०/अनु०जन० जा० अत्याचार अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) में आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नही है।

विधानसभा चुनाव **2019** के दौरान चुनावी सभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पर जातिसूचक टिप्पणी की थी

ज्ञातव्य है कि विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास द्वारा उन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर एसटी-एससी थाना मिहिजाम में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने शिकायत दर्ज करायी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास पर उनके लिए जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। जामताड़ा के मिहिजाम में श्री रघुवर दास ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

###

=========================

#TeamPRD(CMO)